गोइंग डिजिटल: संसद और राज्य विधानसभाएं पेपरलेस होंगी
श्री कृष्णनंद त्रिपाठी | अपडेटिड: दिसंबर 26, 2018 अपराह्न 5:47

संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद की पूरी कार्यवाही और 31 राज्य विधानसभाओं को पूरी तरह से कागज रहित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। पूरे प्रोजेक्ट को संबंधित सदनों के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार डिजाइन और विकसित किया गया है।

फोटो

संसद और राज्य विधानसभाओं में 5,379 सदस्य हैं, जो एक साथ संबंधित सरकारों के कामकाज के बारे में हर साल लगभग 2 लाख सवाल करते हैं। (फाइल फोटो: पीटीआई)

संसद के दो सदन और 31 राज्य विधायिका पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि 5,300 से अधिक सदस्य अब डिजिटल तकनीकों का उपयोग करेंगे, जिससे कागज और काफी समय की बचत होगी।

संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों को पूरी तरह से कागज रहित बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान या नेवा नामक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने के लिए नोटिस देने, उसकी स्वीकृति, संबंधित मंत्रालय के साथ प्रासंगिक पत्राचार और सूचना प्राप्त और संसाधित करने जैसी हर चीज पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने Financialexpress.com को बताया, "सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाता है, इसलिए सदस्य ई-प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन नोटिस भेज सकता है। इसी प्रश्न को उत्तर के लिए मंत्रालयों और विभागों को डिजिटल रूप से भेजा जा सकता है। कोई कागज प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती।"

संसद और राज्य विधानसभाओं में 5,379 सदस्य हैं, जो एक साथ संबंधित सरकारों के कामकाज के बारे में हर साल लगभग 2 लाख सवाल करते हैं। इसके अलावा, संसद और राज्य विधानसभाएं मिलकर 500 से अधिक समिति की रिपोर्ट पेश करती हैं और एक वर्ष में 1700 से अधिक विधेयकों का निपटारा करती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष 10,000 से अधिक कागज़ात सभा पटल पर रखे जाते हैं और 25,000 से अधिक नोटिस भी दिए जाते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर कागज के काम की आवश्यकता होती है, जिसमें संबंधित सदन में पेश करने के लिए दस्तावेजों का प्रमाणीकरण भी शामिल है। राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों में कागज के उपयोग की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर देगी।

सदस्य अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके भी अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकेंगे और उत्तर भी उनके फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा। और यह अन्य सदस्यों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होंगे

और उसी समय इन्हें संबंधित सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना में प्रयुक्त तकनीक प्लेटफ़ॉर्म न्यूट्रल है।

सिर्फ इतना ही नहीं कि संबंधित सदन के सदस्यों की बातचीत को कागज रहित बनाया जाएगा, संबंधित सदनों की संपूर्ण कार्यप्रणाली, प्रश्नों को प्राप्त करने से लेकर सूचनाओं के प्रसंस्करण और उत्तर प्राप्त करने और समिति की रिपोर्टों की तैयारी तक सदन द्वारा किया जाने वाला हरेक काम कागज रहित होगा।

सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पूरी राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना को चला रहे हैं, ने यह भी कहा "विभाग सदन के नियमानुसार जवाब अपलोड कर सकता है और उन्हें सदन में प्रस्तुत किया हुआ माना जा सकता है। सभी सदस्य बिना किसी कागज के जवाबों को देख सकते हैं।" डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और प्रक्रिया में शामिल समय और लागत में कटौती करने के लिए सरकारी कामकाज के हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना है।

राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना के तहत, सरकार देश में प्रत्येक विधायिका को पूरी तरह से कागज रहित बनाने पर रू.740 करोड़ खर्च करेगी, इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा।

नेवा परियोजना को प्रायोगिक आधार पर हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है और अगले 6-8 महीनों में 8-10 और राज्य इस प्रणाली को अपनाएंगे।

संपूर्ण परियोजना और प्रौद्योगिकी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस पुश: ई-विधान परियोजना के अंतर्गत संसद, विधानसभाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करेंगी

द्वारा: कृष्णानंद त्रिपाठी | अपडेटिड: 28 दिसंबर, 2018 पूर्वाह्न 9:22

संसद और राज्य विधानसभाएं बड़े पैमाने पर हजारों विधेयकों और कमेटी की सैकड़ों रिपोर्टों और हर साल 5,300 से अधिक सदस्यों द्वारा पेश किए गए 2 लाख से अधिक प्रश्नों को संभालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करेंगी।

फोटो

संसद, विधानसभाएं ई-विधान परियोजना के तहत कृत्रिम बुद्धि और मशीन लर्निंग का उपयोग करेंगी

लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानसभाएँ ऑपरेशनों को सुव्यवस्थित करने और अपने विधायी दायित्वों का अधिक कुशलता से निर्वहन करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे। राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना के दूसरे चरण के तहत, 5,300 से अधिक की संयुक्त सदस्यता वाले देश के 42 विधायी निकाय सूचना के संसाधन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए “तैयार सूचना”, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इस्तेमाल की जाने वाली संसाधित जानकारी के लिए एक शब्द, का उपयोग करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने विधायी निकायों को अपने कामकाज में पेपरलेस बनने में मदद करने के लिए रू.740 करोड़ की लागत के साथ नेवा (राष्ट्रीय ई-विधान) नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया है।

संसदीय मामलों के सचिव सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने फाईनेंशियल एक्सप्रेस को ऑनलाइन बताया, “चरण एक में, हम केवल डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करेंगे। दूसरे चरण में हम इंटेलीजेंट डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेंगे और सूचना को विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध कराएंगे और विश्लेषण करेंगे, इसी को हम 'तैयार सूचना' कहते हैं।”

यह गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इन सदनों में कुल मिलाकर 5,300 से अधिक सदस्य और लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य विधानसभाओं की 550 अलग-अलग स्थायी समितियां हैं, जो हर साल 500 से अधिक रिपोर्ट तैयार करती हैं। सांसद और विधायक प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख प्रश्न पूछते हैं, जिसमें व्यापक कागजी काम की आवश्यकता होती है, लेकिन इस विस्तृत सूचना को संसाधित करना और उपयोग करना आसान नहीं है। आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग पैटर्न का अध्ययन कर सकते हैं और सिस्टम द्वारा तैयार की गई अंतर्दृष्टि के आधार पर सुधार का सुझाव दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय, जो इसकी राष्ट्रव्यापी शुरूआत के लिए नोडल मंत्रालय है, पहले ही हिमाचल प्रदेश में संचालित पायलट परियोजना से तैयार अंतर्दृष्टि के आधार पर 11 राज्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण को पूरा कर चुका है। यह पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बेहद सफल रहा है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों और उत्तरों को स्वीकार करने के लिए अपने नियमों में पहले ही संशोधन कर दिया है। हालांकि, पहले चरण में जो देश के कई राज्यों में लागू हो रहा है, आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग नहीं किया गया है।

परियोजना को लागू करने वाले नोडल मंत्रालय के प्रमुख के रूप में परियोजना का संचालन कर रहे श्री त्रिपाठी ने कहा, "जब यह जानकारी ठीक से पक जाएगी और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस सिस्टम में उपयोग के लिए 'सुपाच्य' हो जाएगी, तो हम आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस का उपयोग करेंगे।"

राष्ट्रीय ई-विधान प्रणाली के अंतर्गत इन अत्याधुनिक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग केवल दूसरे चरण में ही किया जाएगा क्योंकि देश भर में पहले चरण की शुरूआत हो चुकी है। सरकार ने एक साल के भीतर नेवा प्रणाली में इन तकनीकों का उपयोग शुरू करने की उम्मीद की है।

श्री त्रिपाठी ने सपष्ट किया, "हमने इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की है लेकिन यह एक साल या उससे पहले भी हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित तकनीक और डिवाइस न्यूट्रल प्लेटफॉर्म सभी राज्य विधानसभाओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है लेकिन देश के कुछ 20 राज्यों द्वारा इसे लागू किया जाना बाकी है।"